Dr. Gautam Kumar
BA(H). part-II
PAPER-III

प्रमुख नीति-निदेशक तत्व

संविधान की धारा 38 से 51 तक में राज्य नीति के निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है। अध्ययन की दृष्टिकोण से नीति-निदेशक तत्वों को निम्न-लिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:-

आर्थिक सुरक्षा एवं समाजिक हित संबंधी निदेशक तत्व – नीति-निदेशक तत्वों का प्रमुख लक्ष्य एक लोक कल्याणकारी राज्य (Public welfare state) की स्थापना करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु नीति-निदेशक तत्वों के अन्तर्गत समाजिक एवं आर्थिक न्याय को सुनिश्चित किया गया है।

(i) अनुच्छेद-38 नीति-निदेशक तत्व राज्य को निर्देश देता है कि वह लोककल्याण की अभिवृद्धि करके ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करें, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 38(2) अनुच्छेद जोड़कर एक नया निदेशक तत्व शामिल किया गया है, जो यह सुनिश्चित करता है कि, राज्य, विशेष रूप से आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तिगत बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहनेवाले एवं विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को दूर करने का पूरा प्रयास करेगा।

(ii) (a) राज्य प्रत्येक पुरुष एवं स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्रदान करेगा।
(b) समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बँटा हो, जिससे अधिक से अधिक लोगों का सार्वजनिक हित हो सके।
(c) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार हो, जिससे धन और उत्पादन-साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेन्द्रण न हो।
(d) स्त्री और पुरुष दोनों को समान काम के लिए समान वेतन हो। (Equal pay for Equal work)
(e) स्त्री और पुरुष कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की बाल्यावस्था का दुरुपयोग न हो।
(f) बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएँ दी जाय।
(iii) राज्य समाज के कमजोर वर्गों के लिए, निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करेगा।
(iv) अनुच्छेद 41 के तहत राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने का, शिक्षा पाने और बेकारी, बुढ़ापा, बिमारी और निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार को सुरक्षित करे।
(v) अनुच्छेद-42 राज्य काम की न्यायसंगत और मानवीय दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता उपबन्ध करने का प्रावधान है।
(vi) अनुच्छेद-43(क) राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, संस्थाओं या अन्य संगठनों के प्रबन्ध में किसी अन्य विधि से विशेष कदम उठाएगा।

Scanned with CamScanner

गाँधीवादी सिद्धांत -

(i) अनुच्छेद - 40 राज्य, ग्राम पंचायत का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियों और प्राधिकार प्रदान करेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो।

(ii) अनुच्छेद - 43 - राज्य, गाँवों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ावा देगा।

(iii) अनुच्छेद - 46, राज्य, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की शिक्षा, अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा।

(iv) अनुच्छेद - 47, राज्य का यह कर्तव्य है कि वह लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने और लोक स्वास्थ्य सुधारने का प्रयास करे। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों पर प्रतिबन्ध लगाये।

(v) अनुच्छेद - 48 - राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों पर संगठित करने का प्रयास करेगा। विशेषकर गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के सुधार तथा उसके वध के प्रतिषेध हेतु राज्य विशेष कार्य प्रारम्भ करेगा।

(vi) अनुच्छेद - 48 (A) इसे पहले संभोचन द्वारा वर्ष 1976 में जोड़ा गया है। इसके तहत पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्द्धन का प्रयास करना तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करना।

Scanned with CamScanner

उदारवादी सिद्धांत – नीति-निदेशक तत्वों के अन्तर्गत उदारवादी सिद्धांतों को भी अपनाया है, जो इस प्रकार हैं :–

(i) अनुच्छेद - 44 - (समान नागरिक संहिता) राज्य, भारत के सम्पूर्ण राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।

(ii) अनुच्छेद - 45, राज्य 6वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बालकों के लिए, प्रारम्भिक बाल्यावस्था की देख-रेख, पोषण एवं शिक्षा देने के लिए उपबन्ध करने का प्रयास करेगा।

(iii) अनुच्छेद - 50 - कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण।

(iv) अनुच्छेद - 51 - अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बढ़ावा देना।

प्राचीन स्मारकों की रक्षा संबंधी निदेशक तत्व - अनुच्छेद - 49 - राज्य प्राचीन स्मारकों, कलात्मक महत्व के स्थानों और राष्ट्रीय महत्व के भवनों की रक्षा करेगा।

Scanned with CamScanner